न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
322/2015	2017/46	16.09.2015	12.05.2022
बी.टी.नं. 46/2017			

उनवान प्रकरण

1. छाजूराम पुत्र स्व. बन्ना आयु 38 वर्ष
2. राकेश कुमार पुत्र स्व. चिरंजी आयु 30 वर्ष

समस्त जाति मीणा निवासीगण सांवलपुरा शेखावतान् पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

वादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) ★ श्रीमाधोपुर (सीकर) ★

बनाम

1. करणा पुत्र स्व0 रूघा उम्र 55 वर्ष
2. मखन पुत्र स्व0 रूघा उम्र 50 वर्ष
3. कैलाशी पत्नि स्व0 फत्ता उम्र 50 वर्ष
4. सुभाष पुत्र स्व0 फत्ता उम्र 22 वर्ष
5. टींकू पुत्र स्व0 फत्ता उम्र 20 वर्ष
6. सुशीला पुत्री स्व0 फत्ता उम्र 18 वर्ष
7. बिदामी पत्नि स्व0 अर्जून उम्र 70 वर्ष
8. छीतरमल पुत्र स्व0 अर्जून उम्र 42 वर्ष
9. बाबूलाल पुत्र स्व0 अर्जून उम्र 40 वर्ष
10. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 अर्जून उम्र 38 वर्ष
11. पप्पूलाल पुत्र स्व0 अर्जून उम्र 35 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

समस्त जाति मीणा निवासीगण सांवलपुरा शेखावतान् पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

13. नायब तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

14. पटवारी हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण

15. गैंदी पत्नि स्व0 बन्ना उम्र 70 वर्ष

16. रामस्वरूप पुत्र स्व0 बन्ना उम्र 50 वर्ष

17. रविप्रकाश पुत्र स्व0 जगदीश उम्र 21 वर्ष

18. सूर्यप्रकाश पुत्र स्व0 जगदीश उम्र 19 वर्ष

19. लीलाराम पुत्र स्व0 भागीरथ उम्र 30 वर्ष

20. सायर पुत्र स्व0 भागीरथ उम्र 25 वर्ष

21. इन्द्राज पुत्र स्व0 भागीरथ उम्र 20 वर्ष

22. सरस्वती पत्नि स्व0 चिरंजी उम्र 60 वर्ष

23. रामजीलाल पुत्र स्व0 चिरंजी उम्र 40 वर्ष

24. राजू पुत्र स्व0 चिरंजी उम्र 22 वर्ष

25. पप्पू पुत्र स्व0 चिरंजी उम्र 20 वर्ष

समस्त जाति मीणा निवासी सांवलपुरा शेखावतान् पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री अभिषेक कुमावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री अशोक कुमार यादव, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से

वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

अंतर्गत धारा 88,18[illegible]

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:48:19 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 392 रकबा 0.29 हैक्टर, 481 रकबा 0.01 हैक्टर, 482 रकबा 0.04 हैक्टर, 483 रकबा 0.04 हैक्टर, 484 रकबा 5.03 हैक्टर, 511 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 6.42 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सांवलपुरा शेखावतान् पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 25 हिस्सा 3/5 के खातेदार काश्तकार है। जिनमें स्वर्गीय बन्ना के वारिसान् हिस्सा 1/5, स्वर्गीय भागीरथ के वारिसान् हिस्सा 1/5 एंव स्व0 चिरंजी के वारिसान हिस्सा 1/5 भूमि पर काबिज काश्त है तथा शेष 1/5 हिस्सा भूमि के स्व0 रूघा के वारिसान् प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 एंव 1/5 हिस्सा भूमि के स्व0 अर्जून के वारिसान् प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 11 काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमियॉ शामलाती है जो वादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 25 की शामलाती कृषि भूमियॉ रही है। जिसे सभी वादीगण, प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण शुरू से ही शामलाती काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से उक्त कृषि भूमियॉ अकेले प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 के स्वर्गीय पिता, पति व दादा एंव ससुर क्रमशः स्व0 रूघा व स्व0 अर्जून के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। जबकि उक्त भूमियॉ समस्त वादीगण, प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि थी। जिसे इनके पूर्वज आदि वादीगण व प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता वगैरह शामलाती में काश्त करते थे। वादीगण, प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वादपत्र में वर्णित है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर को शामलाती काश्त करने का प्रमाण राजस्व रिकार्ड में भी मिलता है जो कि सम्वत् 2018—19 की गिरदावरियों में है। संवत् 2018—21 की जमाबंदियों में भी वादीगण, प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के स्व. पिता आदि का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे जाहिर होता है कि उक्त भूमियॉ वादीगण, प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमि है। जिसे वादीगण, प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के स्व0 पिता, पति, दादा एंव ससुर शामलाती में ही काश्त करते आ रहे थे। जिनकी मृत्यु के पश्चात् अब उनके वारिसान वादी नम्बर 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 18 हिस्सा 1/5, वादी नम्बर 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 हिस्सा 1/5, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 हिस्सा 1/5, प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 11 हिस्सा 1/5 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 19 ता 21 हिस्सा 1/5 के काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested

21/05/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काश्तकार है व उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से पर आबाद है। उक्त वर्णित कृषि भूमियॉ वादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण 15 ता 25 की संयुक्त पैतृक भूमियॉ है। पूर्व में उक्त भूमियॉ वादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 25 के स्व0 दादा आदि के नाम थीं। कर्त्ता खानदान होने के नाते उक्त भूमियॉ उस समय प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 के स्व0 पिता एंव पति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई थी। वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 25 के स्व0 पिता, दादा, पति एंव ससुर उस समय बाल्यावस्था में थें। इसलिए राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से उक्त भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 के स्व0 पिता व पति क्रमशः स्व0 रूघा व स्व0 अर्जून एंव उनकी मृत्योंपरांत उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। जो आज तक चली आ रही है। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नम्बरान् को वादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 25 ने मौके पर बहिस्सा बराबर-बराबर बांट रखा है एंव उसी अनुसार काबिज आबाद है व भूमियों को विकसित कर उपजाउ व समतल कर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार विपरित कब्जे के आधार पर वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से की भूमि में खातेदारी अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु दिनांक 07.09.2015 को इन्कार हो गये तथा वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 11 की ओर से श्री अशोक कुमार यादव एड0 ने एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 17, 18 व 24 की ओर से श्री सुनील कुमार शर्मा एड0 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा न्यायालय में पेश किया गया एंव राज्य सरकार के द्वारा चलाये गये न्याय आपके द्वार अभियान - 2016 में आयोजित शिविर ग्राम पंचायत पीथलपुर में प्रतिवादीगण संख्या 15, 16, 19 से 23 व 25 ने उपस्थित होकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावापत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 12 से 14 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:18:19 IST
Reason: Self Attested

12/05/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम सांवलपुरा शेखावतान् पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 392 रकबा 0.29 हैक्टर, 481 रकबा 0.01 हैक्टर, 482 रकबा 0.04 हैक्टर, 483 रकबा 0.04 हैक्टर, 484 रकबा 5.03 हैक्टर, 511 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 6.42 हैक्टर का वादी नम्बर 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 18 हिस्सा 1/5 का, वादी नम्बर 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 को हिस्सा 1/5 का, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को हिस्सा 1/5 का, प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 11 को हिस्सा 1/5 का एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 19 ता 21 को हिस्सा 1/5 के काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 12/05/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 12/05/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)